

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुसावर (भातपुर) ①

पीठासीन अधिकारी

मुनि देव यादव (RAS)

प्रकाण सं०-१५१७

याथा दिनांक - ५.१.१७

कलुआ उर्फ केलाश पुत्र श्री रामोली जाति बागरी शाहण निवासी  
सैंधली तहसील मुसावर ————— वारी

थनाम

राजस्थान लखवा जरिये लहलीलदार मुसावर

प्रतिवादी

दावा डिक्लेरेशन व डूम डकतनाई

दवामी अन्तर्गत धारा १४, १५, १४४

राजस्थान अधिनियम

अधिकारता : पवन तिचारी - वारी

: पैरोमा सरमा - प्रतिवादी

निर्णय दिनांक ३१.३.२१

वारी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आंख नं० ७ १० ३१७ ३१८ ३२९ ३२९ ३४८  
०.२१००, ०.२५००, ०.०४००, ०.०४००, ०.०४००, ०.०४००

किता १ कुल २५५ १.०५०० है ० लोके ग्राम सैंधली

जिसमें सम्पूर्ण हिस्से पर कब्रिज का इतना एवं खातेदार हैं !

उपरोक्त आराजीयात में वारी नाम कलुआ के स्थान पर केलाश पुत्र रामोली राजस्व कर्मचारियों को लिखन गलती से दर्ज कर दिया गया जबकि वारी के समस्त दस्तावेजात जैसे आदर कार्ड, फतदरा पहचान पत्र में कलुआ नाम दर्ज है। तथा इसी प्रकार वारी के पालिका कार्ड एवं सतपंच के प्रमाण - पत्र केलाश उर्फ कलुआ दर्ज है।

अतः कलुआ वारी का सही नाम है तथा वारी की सन्ध खातेदारी में वारी का नाम कलुआ पुत्र रामोली ही दर्ज है। ऐसी दूरत में वारी का नाम कलुआ उर्फ केलाश विधे जोमे की सन्ध को !

अति  
मरवा ३